प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता एवं शर्ते।

1. किसान के पास स्वयं का भुमि अथवा 7 वर्षो का लीज का भुमि होना आवश्यक है।
2. स्वयं की भुमि की स्थिति में L.P.C होना आवश्यक है।
3. अगर लीज का भुमि है तो 7 वर्षो का निबंधित लीज/1000.00 रूपये का स्टाम्प पेपर पर लीजदाता एवं लीज लेने वाले का प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ पत्र।
4. ड्रीप सिंचाई हेतु कम से कम 0.5 एकड़ रकवा तथा अधिक से अधिक 12.5 एकड़ रकवा तथा स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु कम से कम 1 एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है।
5. इस योजना का लाभ जो किसान पुर्व में ले चुके हैं उन्हें 7 वर्षो के बाद ही पुनः योजना का लाभ देय होगा।
6. किसान का निबंधन DBT Portal पर आवश्यक है।
7. छोटे किसान योजना का लाभ समुह में लें सकतें हैं।
8. योजना का लाभ व्यक्तिगत रूप से लेने हेतु जल श्रोत आवश्यक है।
9. अगर किसान स्वयं अनुदान का लाभ अपने बैंक खाते में लेना चाहतें हैं तो उनका बैंक खाता आधार लिंक्ड होना आवश्यक है।
10. अनु०जा० एवं अनु०जनजाति पर क्रमशः 16 एवं 1 प्रतिशत कुल कर्णांकित राशि का व्यय आवश्यक है।
11. आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन स्वीकृत किया जायेगा।